निविदा

32वीं वाहिनी पीएसी सरोजिनीनगर लखनऊ में परिसर के अन्दर जवानों की सुख–सुविधा हेतु **जलपान/स्वल्पाहार को दूकान/शॉप ठेके** पर संचालित कराये जाने हेतु मुहरबन्द लिफाफे में निविदा अधोहस्ताक्षरी द्वारा आमंत्रित की जाती है। इस शॉप/दूकान से ताजी सब्जी/फल इत्यादि की बिक्री की जायेगी,जो बाजार दर से कम मूल्य पर होगी।

– निविदा निर्धारित प्रारूप में ही प्रेषित किया जायेगा, जिसका प्रारूप कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में रू0 **500/– नकद देकर प्रधान लिपिक कार्यालय 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ से प्राप्त किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा मुहरबन्द लिफाफे के ऊपर अपना नाम स्थाई पता तथा "जलपान/स्वल्पाहार शॉप के लिए टेण्डर" अवश्य लिखा जाये।** निविदा डालने वाला व्यक्ति निविदा प्रारूप में यह स्पष्ट रूप से अंकित करेगा कि **"उसके द्वारा किसी संस्थान में ठेके पर "जलपान/स्वल्पाहार की कैन्टीन चलाये जाने का कोई अनुभव प्राप्त हो" अथवा उसे "जलपान/स्वल्पाहार की दूकान चलाने का कितने वर्ष का अनुभव (experience)** पूर्व से प्राप्त हैं। **यदि किसी राजकीय संस्थान में "जलपान/स्वल्पाहार का ठेका लिये हुए हैं, तो उसका प्रमाण पत्र अवश्य दिया जाये।**

2– **जलपान/स्वल्पाहार हेतु निविदा** प्रारूप/फार्म प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक 10–10–2025 है, जो प्रधान **लिपिक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है, जिसका समय** प्रातःकाल 10.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक **निर्धारित किया गया है। निविदा फार्म**/प्रारूप प्राप्त करने के उपरान्त निविदा मुहरबन्द लिफाफे में जमा करने की अन्तिम तिथि **13–10–2025 की** सायंकाल 12.00 बजे तक होगी। उसी दिन निविदा सायंकाल 13.00 बजे सभी **निविदादाताओं के मध्य उप सेनानायक**, सहायक सेनानायक, शिविरपाल 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ की गठित **समिति के समक्ष खोली जायेगी। समस्त निविदादाता निविदा खुलने के समय प्रत्येक दशा में उपस्थित रहेंगे।**

3– प्रत्येक निविदादाता **के द्वारा निविदा जलपान/स्वल्पाहार** लिफाफे पर लिखेगा और साथ में रू0 10,000–00(रू0 **दस हजार मात्र) की अर्नेष्ट मनी** के रूप में एफ0डी0आर0 अथवा नकद(निविदा लिफाफे में भरकर) सेनानायक 32वीं वाहिनी **पीएसी लखनऊ के** पदनाम से बन्धक कराकर जमा करना होगा, अथवा नकद भी जमा किया जा सकता है। **जिस–जिस निविदादाता** की निविदा अस्वीकृत होगी, उन सभी की अर्नेष्ट मनी की धनराशि को उसी दिन अथवा **दूसरे दिन प्रधान लिपिक** कार्यालय द्वारा निविदादाताओं को वापस की जायेगी।

4– निविदादाता प्रत्येक **दिन बेची जाने** वाली ताजी जलपान/स्वल्पाहार आदि की मूल्य सूची को टाँगेगा, जो बाजार रेट की दर से **कम पर हो।**

5– निविदा स्वीकृत **हो जाने पर जमानत** (सिक्योरिटी मनी)के रूप में अधिकतम मूल्य पर स्वीकृत मासिक किराये के **तीन गुना की धरोहर धनराशि** एफ0डी0आर0 सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के पदनाम से बन्धक कराकर अनुबन्ध **पत्र (एग्रीमेन्ट) रू0** 100/– नान जुडिश्यल स्टाम्प पेपर पर देना होगा।

6– सेनानायक 32वीं **वाहिनी पीएसी** लखनऊ को इस बात का पूर्ण अधिकार होगा कि वह कोई भी निविदा स्वीकार/अस्वी**कार कर सकते हैं।** अस्वीकृत की गयी निविदा के लिए सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ कोई कारण ब**ताने के लिए बाध्य नहीं** होंगे।

7– जिस ठेकेदार **के नाम से निविदा** स्वीकृत की जायगी, उस ठेकेदार को कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। ठेकेदार कार्यादेश प्राप्त **करके निर्धारित अवधि** (तीन दिवस) के अन्दर अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) भर कर देगा। साथ ही साथ

...र/(सिक्योरिटी मनी) की धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर प्रधान लिपिक कार्यालय में जमा करेगा। यदि ...केदार उक्त कार्यवाही निर्धारित समयावधि में नहीं करता है तो उसकी अर्नेष्ट मनी जब्त कर ली जायेगी, जिसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। उपरोक्त स्थिति में सेनानायक को यह अधिकार होगा कि वह प्रथम ठेकेदार का ठेका निरस्त कर द्वितीय अधिकतम निविदा को स्वीकृत कर दूसरे निविदादाता को जलपान/स्वल्पाहार की शाप चलाये जाने का अवसर दे सकते हैं। यह निर्णय सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के विवेक पर निर्भर करेगा।

8– निविदादाता कार्यादेश निर्गत होने के उपरान्त **जलपान/स्वल्पाहार के** संचालन में लापरवाही बरतता है अथवा 03 दिवस से अधिक समय तक शॉप को बन्द रखता है तो उसको नोटिस देकर शॉप का टेण्डर/निविदा निरस्त कर उसकी अर्नेष्ट मनी एवं सिक्योरिटी मनी (धरोहर धनराशि) जमा करने का पूर्ण अधिकार सेनानायक को होगा।

निविदा की शर्तें

1– **सेन्ट्रल एमिनिटीज फण्ड में माहवारी रिबेट देने की धनराशि** रू0 10,000–00 निर्धारित की गयी है। निविदादाता **निविदा डालते समय निविदा प्रारूप में अपना नाम व पिता के नाम के साथ पूर्ण स्थायी पता व दो गवाहों के नाम उनके पूर्ण स्थाई पते सहित भरेगा।** निविदादाता निविदा लिफाफे में रू0 10,000–00 की धनराशि ''अर्नेष्ट मनी'' के रूप में भरकर **डालेगा। जिस** लिफाफे में अर्नेष्ट मनी की धनराशि नहीं होगी, उसकी निविदा अयोग्य घोषित मानी जायेगी।

2– **ठेकेदार को निम्नलिखित शर्तों पर** आधारित एक अनुबन्ध पत्र भरना होगा। इसलिए वही व्यक्ति/ठेकेदार निविदा **प्रेषित करें, जिनको यह शर्तें स्वीकार** हो। रिबेट के अतिरिक्त ठेकेदार को निम्न चार्जेज देने होगें:–

3– ठेकेदार शॉप/दुकान में अथवा उसके आस–पास किसी प्रकार का निर्माण अथवा परिवर्तन सेनानायक 32वीं **वाहिनी पीएसी की अनुमति के बिना** नहीं करेगा।

4– **वाहिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये बिजली मीटर की रीडिंग के अनुसार** बिजली का बिल देना होगा।

5– सेनानायक 32वीं **वाहिनी पीएसी के** अनुमोदन पर ठेकेदार जलपान/स्वल्पाहार **की शॉप/दूकान** में पूर्ण स्वच्छता आदि से सम्बन्धित **आवश्यक प्रबन्ध** करने के लिए बाध्य होगा।

6– ठेकेदार को यह **भी स्पष्ट किया** जाता है कि जलपान/स्वल्पाहार की दुकान का आशय/ध्येय पीएसी के कर्मचारियों के **परिजनों को सुविधा** उपलब्ध कराया जाना है न कि धनोपार्जन करना है।

7– ठेकेदार पीएसी **के प्रत्येक कर्मचारी के** परिवारीजनों को बाजार रेट से कम दामों पर जलपान/स्वल्पाहार उपलब्ध करायेगा।

8– ठेकेदार वाहिनी **के किसी कर्मचारी** अथवा उसके परिवारीजनों को **जलपान/स्वल्पाहार** उधारी के तौर पर नहीं देगा, यदि देता है **तो सेनानायक किसी** भी प्रकार की उधारी की अदायगी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

9– ठेकेदार शाप/दुकान **में किसी प्रकार** की कोई नशीली वस्तु, तस्करी आदि का सामान नहीं रखेगा और न ही बासी/पुरानी सब्जी/**फल की बिक्री** करेगा।

10– ठेकेदार शॉप/दुकान **में कोई रोगग्रस्त** व नाबालिग नौकर नहीं रखेगा।

11– ठेकेदार जलपान/**स्वल्पाहार आदि** वस्तुओं को अत्यन्त सफाई के साथ ढक कर रखेगा।

12– जलपान/स्वल्पाहार **की शॉप/दुकान** पर किसी भी समय कोई भी राजपत्रित अधिकारी बिना कोई सूचना दिये निरीक्षण कर **सकता है।**

...दार जलपान/स्वल्पाहार के बाजार रेट से कम मूल्यों की सूची को ऐसे स्थान पर लटकायेगा/टाँगेगा जिससे कर्मचारी अथवा उसके परिवारीजन को आसानी से पढने हेतु दिखाई दे।

14– ठेकेदार साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखेगा, गन्दगी परिलक्षित नहीं होनी चाहिए।

15– जब ठेकेदार/निविदादाता, निविदा से सम्बन्धित फार्म प्राप्त करने आयेगा, तो अपने साथ स्थाई पता का (प्रूफ/निवास स्थान की आई0डी0 के साथ) प्रमाण ग्राम प्रधान अथवा पार्षद से निवास प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर देगा। किसी भी ठेकेदार/निविदादाता का लोकल/स्थानीय निवास स्थान का पता मान्य नहीं होगा।

16– ठेकेदार जलपान/स्वल्पाहार की शाप/दूकान का ठेका किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं।

17– यदि ठेकेदार अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, जलपान/स्वल्पाहार बेंचता है, पर्याप्त सफाई नहीं रखता है, बाजार से अधिक दर पर सामान बेचने की शिकायत मिलने पर अथवा वाहिनी के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करता है तो सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ ठेकेदार पर रू0 500/– तक का जुर्माना एक समय में लगा सकते है।

18– वाहिनी में नियुक्त पीएसी कर्मी स्वयं या अपने परिवारीजनों के नाम से निविदा नहीं डालेगा। निविदादाता के स्थाई पते की जांच सम्बन्धित थाने के माध्यम से शिविरपाल द्वारा कराई जायेगी।

19– यह ठेका एक वर्ष के लिए होगा और सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताए ही ठेका किसी भी समय समाप्त कर सकते हैं।

29/09

(प्राची सिंह)
सेनानायक,
32वीं वाहिनी पीएसी
लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1–जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ
2–पुलिस आयुक्त लखनऊ को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
3–समस्त पुलिस महानिरीक्षक; पीएसी जोन्स, उ0प्र0
4–समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक अनुभाग/लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ
5–पुलिस अधीक्षक बाराबंकी/उन्नाव/रायबरेली/सीतापुर/हरदोई।
6–सेनानायक 35वीं/02/11/27/25वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ/सीतापुर/रायबरेली।
7–कमेटी अध्यक्ष–उप सेनानायक,/ सदस्य सहायक सेनानायक, शिविरपाल, 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8–सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी लखनऊ
9–कन्ट्रोल रूम पीएसी मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ कि निविदा का प्रकाशन उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।(ई-मेल द्वारा)
10– शिविरपाल 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को प्रचार–प्रसार एवं एक प्रति वाहिनी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।